न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 110/2024

1. भगवानाराम पुत्र धोकुलनाथ, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. हेतराम पुत्र धोकलनाथ, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. विजेन्द्र कुमार पुत्र पूर्णराम, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच एच नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. संतोष देवी पत्नी पूर्णराम, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. नत्थूराम पुत्र धोकलनाथ, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. रिम्पल भादू पत्नी विजेन्द्र कुमार, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. संदीप कुमार पुत्र नत्थूराम, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. कौशल्या पत्नी भगवानाराम, जाति नाथ, निवासी चक 2 एच. एच, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. कृष्णनाथ पुत्र भोमनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. किरनदेवी पुत्री भोमनाथ पत्नी बाबूलाल नाथ, निवासी गली नम्बर 5, राजकीय स्कूल के पास, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ
3. चन्दनाथ पुत्र शंकरनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. नरेन्द्रनाथ पुत्र शंकरनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

5. पूनमदेवी पुत्री शंकरनाथ पत्नी राजेन्द्र नाथ, जाति नाथ, निवासी चक 70 जी0बी, तहसील व जिला अनूपगढ ।
6. पिंकी देवी पुत्री शंकरनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5 नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. बादूदेवी पुत्री भोमनाथ (मृतक)

   7/1. रामकरणनाथ पुत्र खेतपाल नाथ, जाति नाथ, निवासी कालू रोड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर

   7/2. हनुमाननाथ पुत्र खेतपाल नाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 10, गांव मोटेर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ

   7/3. राजूनाथ पुत्र खेतपाल नाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 9, गांव मोटेर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ ।

   17/4. कल्लोदेवी पत्नी देवीलाल नाथ, गांव प्रेमपुरा ढाणी, बिसरासर, पल्लू, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ
8. मुखराम पुत्र भोमनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. महेन्द्र देवी पुत्री गिरधारीनाथ पत्नी प्रदीप नाथ, निवासी गली नम्बर 5 राजकीय स्कूल के पास, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ
10. रविन्द्रनाथ पुत्र मनीराम, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5 नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. सुभाषनाथ पुत्र मनीराम, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
12. सुशीला देवी पत्नी शंकरनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
13. हेमलता पुत्री शंकरनाथ, जाति नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 5, नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
14. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 2ता5, 7/1, 7/2
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी संख्या 14

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7/1, 7/4, 8 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–06.11.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 2 एच एच प्रथम, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2/1 में 0.0120 हैक्टेयर गैर–मुमकिन रास्ता, किला नम्बर 4 ता 7 प्रत्येक सालम नहरी, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 सालम व किला नम्बर 10/2 में 0.114 हैक्टेयर नहरी यानि कुल 1.391 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 के नाम इसी चक के खाता संख्या 98/91 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/1 में 0.012 हैक्टेयर गैर–मुमकिन रास्ता, किला नम्बर 17/1 में 0.114 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 18 सालम नहरी, किला नम्बर 23 ता 25 सालम नहरी, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 21 ता 25 सालम नहरी यानि कुल 2.4030 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम संयुक्त खाता संख्या 76/31 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 20/1, 21/1 में 0.0240 हैक्टेयर गैर–मुमकिन रास्ता, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 13/2 में 0.190 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 14 ता 16 सालम नहरी, किला नम्बर 17/2 में 0.139 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 14/1 में 0.151 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 15 ता 20 सालम नहरी,मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1/1 में 0.228 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 1/2 में 0.0250 हैक्टेयर खाला, किला नम्बर 9 सालम नहरी, किला नम्बर 10/1 में 0. 228 हैक्टेयर नहरी व किला नम्बर 10/2 में 0.0250 हैक्टेयर खाला यानि कुल 3.540 हैक्टेयर नहरी मय खाला, गै०मु०रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी संख्या 5 के नाम चक 2 एच. एच प्रथम, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/27 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 3/1 में 0.0120 हैक्टेयर गैर–मुमकिन रास्ता, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 6 ता 8 सालम व किला नम्बर 10/1 में 0.139 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11/2 में 0.228 हैक्टेयर नहरी यानि कुल 1.138 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी संख्या 6 के नाम इसी चक के खाता संख्या 114/25 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 11/1 में 0.0250 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 12 व 13 सालम, किला नम्बर 14/2 में 0.101 हैक्टेयर नहरी यानि कुल खाता 0.632 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी संख्या 7 के नाम खाता संख्या 107/25 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 9 में 0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 8 के नाम खाता संख्या 115/42 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2 ता 5 सालम यानि कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम मुरब्बा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 45 कुल 3.226 कृषि भूमि (12.15 बीघा) एवं मुरब्बा नम्बर 46 सालम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 व 8 ता 13 के नाम इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 88/79 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 15 ता 17/1, 23 ता 25 में कुल 1.252 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 2 ता 25 में 5.250 हैक्टेयर नहरी व 0.137 हैक्टेयर खाला, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 ता 3/2, 8 ता 13/1 एवं 19 ता 22 में 2.935 हैक्टेयर नहरी व 0.125 हैक्टेयर खाला यानि कुल खाता 9.699 हैक्टेयर नहरी मय खाला भिन्न-भिन्न हिस्सो में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 7 की मृत्यु हो चुकी है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उसके हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 7/1 ता 7/3 द्वारा बतौर वारिस अंकित नहीं करवाई गई है परन्तु बतौर वारिस आवश्यक पक्षकार होने के फलस्वरुप अप्रार्थी संख्या 7/1 ता 7/3 को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण अपनी मुरब्बा नम्बर 45 व 46 की कृषि भूमि में कृषि कार्य करने हेतु प्रवेश मुरब्बा नम्बर 45 के उत्तरी दिशा में स्थित मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 20 व 21 में नहरी सरकारी रास्ता से होते हुए, जो मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 20 के पश्चिमी दिशा को छुता है, से होकर मुरब्बा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 20 व 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 3 में स्वीकृतशुदा रास्ता जो उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 1-1 बिस्वा गै० मु० रास्ता के रुप में संचालित है, से होकर अपनी कृषि भूमि जो मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 4 में प्रवेश कर करते आ रहें है। अप्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 45 में स्वीकृतशुदा रास्ता जो किला नम्बर 1 ता 3 में 1-1 बिस्वा है, के दोनो ओर सीमेंट के पोल लगाकर तारबंदी कर रखी है जिससे प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने में उपयोग होने वाले कृषि संयंत्र ट्रैक्टर-ट्रॉली, कम्बाईन इत्यादि को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करवाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। रंगीन फोटो मौका अवलोकनार्थ सलंग्न प्रार्थना-पत्र है। प्रार्थीगण को अब अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में कृषि कार्य करने एवं फसल कटाई व अन्य कृषि सम्बंधि कार्य हेतु इस आधुनिक समय में कृषि संयंत्र, जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, कम्बाईन इत्यादि को कृषि भूमि में प्रवेश कर कृषि कार्य करना पडता है जिस हेतु प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु 2-2 बिस्वा यानि 16 1/2 फुट चौडा रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करने हेतु मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 3 में स्वीकृत 1-1 बिस्वा रास्ता से कृषि उपकरण को कृषि भूमि में प्रवेश करवाने में अब काफी समय से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थीगण पूर्व में संचालित मु० नम्बर 45 के किला न० 1 ता 3 के रास्ता को 16 1/2 चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है । प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आवागमन प्रारम्भ से ही मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 20, 21 एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 3 में स्वीकृतशुदा 1-1 बीस्वा रास्ते से होकर ही करते आ रहे है तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता उपलब्ध है जो सर्वोत्तम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपयुक्त एवं लघुत्तम है तथा प्रार्थीगण को उक्त संचालित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/3, 2/2 एवं 3/2 में दक्षिणी दिशा में अतिरिक्त रुप से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाया जाकर पूर्व में संचालित रास्ता को चौडाई में 2–2 बिस्वा यानि 16½ फुट चौडा करवाया जाकर उसे राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कई बार उनके नाम संयुक्त रुप से दर्ज मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/3. 2/2 व 3/2 में से दक्षिण दिशा में 1–1 बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवा उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु कहा गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से साफ इंकार हो गया यही हेतुक प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को डीएलसी दर की दोगुनी राशि रास्ते के रूप मे उपयोग होने वाली कृषि भूमि के बदले मे देने हेतु तैयार व तत्पर है। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो कि उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एच. एच प्रथम, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/44, 78/31, 98/91, 25/27, 114/25, 107/25 एवं 115/42 के मुरब्बा नम्बर 45 व 46 की कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/3, 2/2 व 3/2 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर तीन बीघा लम्बाई में अतिरिक्त रुप से पूर्व में संचालित गैर–मुमकिन 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता के साथ–साथ 1–1 बीस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर उसे 2–2 बीस्वा गैर–मुमकिन के रुप में राजस्व रिकॉर्ड के रुप में दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे। अन्य कोई न्यायसंगत आदेश जो प्रार्थी के पक्ष मे हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी द्वारा जनाबवाला के समक्ष रास्ते की मांग की थी जिस पर जनाबवाला द्वारा पूर्व में पीठाधिकारी द्वारा मौका देखा गया तथा जांच की गयी। जांच के पश्चात दोनो पक्षों को सुनने के बाद 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी की 2 बिस्वा रास्ता की मांग को स्वीकार ना करके 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये । यदि प्रार्थीयान को उस आदेश के सम्बन्ध में ऐतराज है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी मगर उन्होने ऐसी कोई अपील पेश नहीं की इसलिए अब दोबारा कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है क्योंकि अदालत द्वारा मौका देखने पर एवं दोनो पक्षों को सुनकर 8 फुट रास्ता स्वीकृत किया गया था जो बिल्कुल सही किया गया इसलिए रास्ता चौड़ा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नही है बल्कि पूर्व में अदालत द्वारा मौका देखने के बाद एवं तमाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

परिस्थितियों को देखने के बाद ही 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया था जो बिल्कुल सही किया गया था इसके खिलाफ कोई आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील की जानी चाहिए थी । प्रार्थना पत्र की मद संख्या–8 जिस तरह से दर्ज की गयी है स्वीकार नहीं है। ना तो कोई रास्ता की बात हुई, ना ही अप्रार्थी कभी प्रार्थी से मिले है। जनाबवाला द्वारा पूर्व में निर्णय किया जा चुका है इसलिए दोबारा निर्णय नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त कथन– पूर्व में इस न्यायालय द्वारा मौका देखने पर तहसीलदार की रिपोर्ट आने के पश्चात् सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1–1 बिस्वा स्वीकृति दी गयी थी तथा प्रार्थी की मांग 2 बिस्वा नहीं मानकर जनाबवाला ने 1–1 बिस्वा रास्ता का आदेश दिया गया था इसलिए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर दोबारा आदेश नहीं दिया जा सकता है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। इस रास्ते के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय हो चुके है इसलिए भी कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 5, 7/1, 7/2 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7/1, 7/4, 8 ता 13 को जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7/1, 7/4, 8 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एच. एच प्रथम, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/44, 78/31, 98/91, 25/27, 114/25, 107/25 एवं 115/42 के मुरब्बा नम्बर 45 व 46 की कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/3, 2/2 व 3/2 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर तीन बीघा लम्बाई में अतिरिक्त रुप से पूर्व में संचालित गैर–मुमकिन 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता के साथ–साथ 1–1 बीस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत कर उसे 2–2 बीस्वा गैर–मुमकिन के रुप में राजस्व रिकॉर्ड के रुप में दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे। **वकील अप्रार्थी की मुख्य जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थी द्वारा जनाबवाला के समक्ष रास्ते की मांग की थी जिस पर जनाबवाला द्वारा पूर्व में पीठाधिकारी द्वारा मौका देखा गया तथा जांच की गयी। जांच के पश्चात दोनो पक्षों को सुनने के बाद 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी की 2 बिस्वा रास्ता की मांग को स्वीकार ना करके 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये । यदि प्रार्थीयान को उस आदेश के सम्बन्ध में ऐतराज है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी मगर उन्होने ऐसी कोई अपील पेश नहीं की इसलिए अब दोबारा कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अदालत द्वारा मौका देखने पर एवं दोनो पक्षों को सुनकर 8 फुट रास्ता स्वीकृत किया गया था जो बिल्कुल सही किया गया इसलिए रास्ता चौड़ा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा मौका देखने पर तहसीलदार की रिपोर्ट आने के पश्चात् सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1–1 बिस्वा स्वीकृति दी गयी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

थी तथा प्रार्थी की मांग 2 बिस्वा नहीं मानकर जनाबवाला ने 1–1 बिस्वा रास्ता का आदेश दिया गया था इसलिए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर दोबारा आदेश नहीं दिया जा सकता है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। इस रास्ते के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय हो चुके है इसलिए भी कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्तमान में अपने रकबा में आने जाने के लिए मुरबा नम्बर 45 के किला नबर 1/3, 2/2, 3/2 में स्वीकृतशुदा गैरमुमकिन रास्ता का प्रयोग कर रहा है, एवं प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता को चौड़ा करने के लिए 1–1 बिस्वा रास्ता उक्त गैरमुमकिन रास्ता के साथ लगता स्वीकृत कर उक्त दो बिस्वा रास्ता किये जाने की मांग की गई है। प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने का विकल्प मौजूद है एवं प्रार्थी अपने खेत में आ जा रहा है। सुविधा के आधार पर प्रार्थी को रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवम् प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहा हैं। प्रार्थी के पास वैकेल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर